सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज</u>
<u>पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 26/2017

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार श्री रतन लाल जैन उम्र 40 वर्ष जाति जैन निवासी नाकोडा कॉलोनी वार्ड नं0 05 जिला बारॉ **(मौके पर मौजुद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स कमलेश एजेन्सी, जनता टॉकिज रोड बारां।
2. श्री नबोर पी.के. टोप्पो पुत्र श्री टेलेसफोर टोप्पो निवासी मं0नं0 580 द्वितीय फ्लॅार सरस्वती विहार एच.बी. कॉलोनी चक्करपुर गुडगांव हरियाणा–122001(नोमिनि) Perfetti Vanmelle India Pvt. Ltd. Plot No. 14 B Sector 9 Integrated Ind Estate, Pant Nagar Rudrapur, Distt Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
3. Perfetti Vanmelle India Pvt. Ltd. Plot No. 14 B Sector 9 Integrated Ind Estate, Pant Nagar Rudrapur, Distt Udham Singh Nagar (Uttarakhand)

(अप्रार्थीगण)

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011</u>

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2–श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2 एवं 3)

<u>निर्णय दिनांक 21.5.2019</u>

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2016 को मैसर्स कमलेश एजेन्सी, जनता टॉकिज रोड बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री कमलेश कुमार श्री रतन लाल जैन **(मालिक और विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 21.10.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe)** जो लगभग 10 पैकेट विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe)** के 200 ग्राम के 04 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु अप्रार्थी से खरीदे, जिसकी कीमत श्री कमलेश कुमार श्री रतन लाल जैन **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** को 200/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा

उपस्थित गवाहन श्री रतन लाल व श्री जीतु के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe)** 200 ग्राम के 04 पैकेटों को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर प्लास्टिक के डिब्बो में मूल ही भरकर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एएच–667 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारॉ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–667 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कमलेश कुमार श्री रतन लाल जैन **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/08 दिनांक 03.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 341/FSSA/Kota/Act/2016/489 दिनांक 28.12.2016 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय की गयी खाद्य पदार्थ **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3 (1)(Zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु अप्रार्थीगणों से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं अन्य दस्तावेजो की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा प्रतिउत्तर में मैसर्स कमलेश एजेन्सी, जनता टॉकिज रोड बारां द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय मे पेश किया गया और Perfetti Vanmelle India Pvt. Ltd. द्वारा फर्म का केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र, फार्म–9 एवं नोमिनि ड्रविंग लाईसेन्स की छाया प्रति कार्यालय मे पेश किया गया जिसमें श्री नबोर पी.के. टोप्पो पुत्र श्री टेलेसफोर टोप्पो निवासी मं0नं0 580 द्वितीय फ्लॉर सरस्वती विहार एच.बी. कॉलोनी चक्करपुर गुडगांव हरियाणा–122001(नोमिनि) पाया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 14.09.2017 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 दिनांक 10.11.2017 व 04.01.2019 को उपस्थित एवं इसके पश्चात अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी कम 2 एवं 3 की ओर से श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट द्वारा जर्ये वकालतनामा उपस्थित दी जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe) 200 ग्राम** पैक का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी कम 2 व 3 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दूवार तथ्यों को दौहराया गया जिसका जवाब निम्नानुसार बिन्दुवार प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया :–

1. बिन्दु संख्या 01 हेतू गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न परिवादी हे दिनांक 17.05.2019 को बहस में स्वीकार किया गया है।
2. बिन्दु संख्या 02 से 06 तक परिवाद में अंकित तथ्यो के बारें में बताया गया है जिस दिनांक 17.05.2019 को बहस में स्वीकार किया गया है।
3. बिन्दु संख्या 07 में जांच रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। जिसे 17.05.2019 को अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।
4. बिन्दु संख्या 08 में परिवादी द्वारा दस्तावेज चाहे गये थे जो अभियुक्त द्वारा पेश किये जिसे संलग्न परिवाद पेश किया गया है।
5. बिन्दु संख्या 09 मे अभियोजन स्वीकृति से संबंधित है। जो परिवाद में संलग्न है जिसे दिनांक 17.05.2019 को बहस में स्वीकार किया गया है।
6. बिन्दु संख्या 10 में मिथ्याछाप की धारा से संबंधित है। जिसे दिनांक 17.05.2019 को बहस में स्वीकार किया गया है।
7. Additional Submissions का पेरा नं0 1 एफएसएसए की धारा 46(4) से संबंधित है जिसकी पालना एक्ट के अनुसार कर ली गई है जिसे दिनांक 17.05.2019 को बहस में स्वीकार किया गया है।
8. Additional Submissions का पेरा नं0 2 खाद्य विशेषक की जांच रिपोर्ट से संबंधित है। जिसे दिनांक 17.05.2019 को बहस में स्वीकार किया गया है।
9. Additional Submissions का पेरा नं0 3 जांच रिपोर्ट की समय सीमा से संबंाधित है। जिसे दिनांक 15.05.2019 को बहस में स्वीकार किया गया है।
10. Additional Submissions का पेरा नं0 4 खाद्य विशेषक की जांच रिपोर्ट से संबंधित है। जिसे दिनांक 17.05.2019 को दोराने बहस श्रीमान द्वारा खारिज कर दी गई थी।
11. Additional Submissions का पेरा नं0 5 प्रार्थी द्वारा लगाये गये परिवाद से संबंधित है। जिसे दिनांक 17.05.2019 को दोराने बहस श्रीमान द्वारा खारिज कर दी गई थी।
12. Additional Submissions का पेरा नं0 6 जांच रिपोर्ट असुरक्षित व अवमानक नही पाई गई है जो सही पाया गया है। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप पाया गया है।
13. Additional Submissions का पेरा नं0 7 व 8 को दिनांक 17.05.2019 को दौराने बहस श्रीमान द्वारा खारिज कर दी गई थी।

इसके विपरीत प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 341/FSSA/Kota/Act/2016/489 दिनांक 28.12.2016 के बाद अप्रार्थी क्रम 01 को **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe) 200 ग्राम** पैक की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये

पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe) 200 ग्राम** पैक जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1, 2 एवं 3 को प्रत्येक अप्रार्थी को 10,000/–रूपये कुल जुर्माना राशि 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि पृथक–पृथक अप्रार्थीगण प्रति अप्रार्थी 10,000/– रूपये अथवा तीनो अप्रार्थीगण मिलकर 30,000/– रूपये किसी भी एक अधिकृत प्रतिनिधी के माध्यम से जमा करवाये। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भिजवायी जावे। अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 30.6.2019 के बाद मिथ्याछाप (Mis Branded) **Butter Toffee Creamfills (Alpenlibe) 200 ग्राम** पैक विक्रय हेतु मार्केट मे नही रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)